उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2007]

जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 संन् 2007 के रूप में दिनांक 20 नवम्बर, 2007 को प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005 का निरसन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2005 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ स्थित, राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन आवास संख्या–2, 3 और 4 क्रमशः मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद् और कृषि उत्पादन आयुक्त के उनके कार्यकाल तक उपयोग करने के लिए अनुमन्य दर पर शासकीय आवास अभिहित करने को व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। किन्तु अभिहित आवास के अतिरिक्त आवास आवंटन हेतु ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों के निरन्तर अनुरोध के कारण राज्य सम्पत्ति विभाग को ऐसे अनुरोधों को पूरा करने में व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतएव, यह विनिश्चय किया गयाः है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी अगवास (निरसन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।